

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक 22.08.2026

संख्या-1/पी.-1001/2026-सा.प्र.-15418/श्रीमती श्रेया श्री, भा.प्र.से. (2022)
(सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देकर प्रतीक्षारत) को अगले आदेश तक उप
विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, खगड़िया के पद
पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी.-1001/2026-सा.प्र.-15419/सुश्री गरिमा लोहिया, भा.प्र.से.(2023)
अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक नगर
आयुक्त, दरभंगा नगर निगम, दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी.-1001/2026-सा.प्र.-15420/श्री अनिरुद्ध पाण्डेय, भा.प्र.से.(2023)
अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक
नगर आयुक्त, पूर्णिया नगर निगम, पूर्णिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी.-1001/2026-सा.प्र.-15421/श्री तुषार कुमार, भा.प्र.से. (2023)
अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्णिया को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप
विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, मधुबनी के पद पर
पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी.-1001/2026-सा.प्र.-15422/श्री प्रधुम्न सिंह यादव, भा.प्र.से.(2023)
अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक,
खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित
किया जाता है।

संख्या-1/पी.-1001/2026-सा.प्र.-15423/सुश्री आकांक्षा आनंद, भा.प्र.से.(2023)
अनुमंडल पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर (पश्चिमी) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश
तक उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, सासाराम,
रोहतास के पद पर पदस्थापित किया जाता है।



संख्या-1/पी.-1001/2026-सा.प्र.-15424/सुश्री अंजली शर्मा, भा.प्र.से.(2023) अनुमंडल पदाधिकारी, अरेराज, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, निःशक्तता, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी.-1001/2026-सा.प्र.-15425/श्री रोहित कर्दम, भा.प्र.से.(2023) अनुमंडल पदाधिकारी, नौगछिया, भागलपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, कैमूर, भभुआ के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

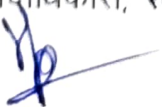
संख्या-1/पी.-1001/2026-सा.प्र.-15426/श्रीमती शिप्रा विजयकुमार चौधरी, भा.प्र.से. (2023) अनुमंडल पदाधिकारी, आरा सदर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जमुई के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी.-1001/2026-सा.प्र.-15427/डॉ० नेहा कुमारी, भा.प्र.से.(2023) अनुमंडल पदाधिकारी, सासाराम, रोहतास को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, कटिहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी.-1001/2026-सा.प्र.-15428/श्री कृष्ण चन्द्र गुप्ता, भा.प्र.से.(2023) अनुमंडल पदाधिकारी, कहलगांव, भागलपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक महानिरीक्षक, निबंधन, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी.-1001/2026-सा.प्र.-15429/श्री विरूपाक्ष विक्रम सिंह, भा.प्र.से.(2024) (व्यावसायिक प्रशिक्षण चरण-II की समाप्ति पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी से दिनांक 21.08.2026 से विरमित) को अगले आदेश तक अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी.-1001/2026-सा.प्र.-15430/सुश्री प्रिया रानी, भा.प्र.से.(2024) (व्यावसायिक प्रशिक्षण चरण-II की समाप्ति पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी से दिनांक 21.08.2026 से विरमित) को अगले आदेश तक अनुमंडल पदाधिकारी, सासाराम, रोहतास के पद पर पदस्थापित किया जाता है।



संख्या-1/पी.-1001/2026-सा.प्र.-15431/सुश्री कृष्णा जोशी, भा.प्र.से.(2024)
(व्यावसायिक प्रशिक्षण चरण-II की समाप्ति पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन
अकादमी, मसूरी से दिनांक 21.08.2026 से विरमित) को अगले आदेश तक अनुमंडल
पदाधिकारी, बाढ़, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी.-1001/2026-सा.प्र.-15432/श्री प्रेम कुमार, भा.प्र.से. (2024)
(व्यावसायिक प्रशिक्षण चरण-II की समाप्ति पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन
अकादमी, मसूरी से दिनांक 21.08.2026 से विरमित) को अगले आदेश तक अनुमंडल
पदाधिकारी, हवेली खड़गपुर, मुंगेर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी.-1001/2026-सा.प्र.-15433/श्री सैयद आदिल मोहसीन, भा.प्र.से.
(2024) (व्यावसायिक प्रशिक्षण चरण-II की समाप्ति पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय
प्रशासन अकादमी, मसूरी से दिनांक 21.08.2026 से विरमित) को अगले आदेश तक
अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा, सारण के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी.-1001/2026-सा.प्र.-15434/श्री अजय यादव, भा.प्र.से. (2024)
(व्यावसायिक प्रशिक्षण चरण-II की समाप्ति पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन
अकादमी, मसूरी से दिनांक 21.08.2026 से विरमित) को अगले आदेश तक अनुमंडल
पदाधिकारी, बलिया, बेगूसराय के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी.-1001/2026-सा.प्र.-15435/श्री सूरज कुमार, भा.प्र.से.(2024)
(व्यावसायिक प्रशिक्षण चरण-II की समाप्ति पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन
अकादमी, मसूरी से दिनांक 21.08.2026 से विरमित) को अगले आदेश तक अनुमंडल
पदाधिकारी, कटिहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी.-1001/2026-सा.प्र.-15436/श्री विग्नेश टी.ए. भा.प्र.से. (2024)
(व्यावसायिक प्रशिक्षण चरण-II की समाप्ति पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन
अकादमी, मसूरी से दिनांक 21.08.2026 से विरमित) को अगले आदेश तक अनुमंडल
पदाधिकारी, पूर्णिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी.-1001/2026-सा.प्र.-15437/श्री जतिन कुमार, भा.प्र.से. (2024)
(व्यावसायिक प्रशिक्षण चरण-II की समाप्ति पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन
अकादमी, मसूरी से दिनांक 21.08.2026 से विरमित) को अगले आदेश तक अनुमंडल
पदाधिकारी, शेरघाटी, गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।



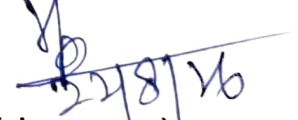
संख्या-1/पी.-1001/2026-सा.प्र.-15438/श्री के. परीक्षित, भा.प्र.से. (2024)
(व्यावसायिक प्रशिक्षण चरण-II की समाप्ति पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन
अकादमी, मसूरी से दिनांक 21.08.2026 से विरमित) को अगले आदेश तक अनुमंडल
पदाधिकारी, नौगछिया, भागलपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी.-1001/2026-सा.प्र.-15439/श्री महेश कुमार, भा.प्र.से. (2024)
(व्यावसायिक प्रशिक्षण चरण-II की समाप्ति पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन
अकादमी, मसूरी से दिनांक 21.08.2026 से विरमित) को अगले आदेश तक अनुमंडल
पदाधिकारी, तारापुर, मुंगेर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी.-1001/2026-सा.प्र.-15440/श्रीमती कशिश बक्शी, भा.प्र.से. (2024)
(व्यावसायिक प्रशिक्षण चरण-II की समाप्ति पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन
अकादमी, मसूरी से दिनांक 21.08.2026 से विरमित) को अगले आदेश तक अनुमंडल
पदाधिकारी, पटना सिटी के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किए गए पदाधिकारियों को
संबंधित अनुमंडल क्षेत्र के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46,
2023) की धारा-14 के अधीन कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति एवं धारा-163 में
निहित शक्तियां प्रदान की जाती हैं।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(संजय कुमार)

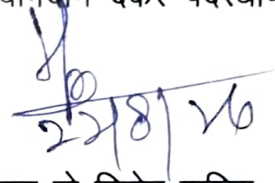
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-1/पी.-1001/2026-सा.प्र.-15440/पटना-15, दिनांक 22.08.2026

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार
राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा-आई.टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/सचिव,
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, कर्तव्य भवन-03, कर्तव्य पथ, नई दिल्ली/
कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, कर्तव्य भवन-03,
कर्तव्य पथ, नई दिल्ली/महालेखाकार (ले. एवं ह.), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/
राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार लोक भवन, पटना/स्थानिक
आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/मुख्य मंत्री सचिवालय,

बिहार, पटना/संबंधित विभाग/संबंधित पदाधिकारी/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/भू-सम्पदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/ मुख्य सचिव के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/आई. टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी.डी. के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, 06, 12 एवं 14, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संदर्भित स्थानांतरण/पदस्थापन से प्रभावित ऐसे पदाधिकारी, जिनका अन्यत्र पदस्थापन नहीं हुआ है, वे सभी सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देकर पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत रहेंगे।



सरकार के विशेष सचिव